संस्थागत वित्त संचालनालय
मध्य प्रदेश

वेब-साइट: www.dif.mp.gov.in

राज्य ब्रिस्क प्रकोष्ठ
ग-खण्ड, प्रथम तल,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल -462003
दूरभाष - (0755) 2551199,2552003
फेक्स - 0755-2551387
ई-मेल: difbho@mp.gov.in

क्र. ब्रिस्क/आई.टी.(3)/संविसं/2009/371
भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2011

प्रति

कलेक्टर (समस्त)

बिषयः **वेब-एनेबल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर एप्लीकेशन का क्रियान्वयन ।**

इस कार्यालय द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से तैयार किये गये वेब-एनेबिल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्रियान्वयन हेतु जिले के संबंधित राजस्व एवं बैंक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

इस एप्लीकेशन के माध्यम से बैकों द्वारा जिला प्रशासन को **आन-लाइन** राजस्व वसूली प्रकरण प्रपत्र-1 में वसूली की कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं । यह व्यवस्था दिनांक **1 अप्रेल 2010** से प्रभावशील है । साफ्टवेयर के संचालन हेतु यूजरनेम/पासवर्ड उपलब्ध कराऐ जा चुके हैं । जिला स्तर पर साफ्टवेयर के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा में परिलक्षित हुऐ मुख्य बिन्दुओं को संलग्न परिशिष्ट दर्शाया गया है । पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्र.2201 दिनांक 15-9-2010 के साथ पत्रक-अ में विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा संपादित की जाने वाली कार्यवाही का लेख किया गया था, जिसे आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है । संशोधित पत्रक परिशिष्ट पर संलग्न है ।

अनुरोध है कि सर्वसंबंधितों को संलग्न परिशिष्ट अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें, साथ ही **साफ्टवेयर एप्लीकेशन** के क्रियान्वयन की नियत अंतराल पर समीक्षा करते हुऐ इस बिषयक समीक्षा के बिषय को जिला स्तरीय परामशदात्री समिति (DLCC) की बैठक में नियमित एजेण्डा आइटम के रूप शामिल किया जाय । जिला स्तरीय समीक्षा हेतु प्रगति प्रतिवेदन साफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।

साफ्टवेयर के संचालन में किसी भी प्रकार की सहायता हेतु इस कार्यालय के प्रोग्रामर से ई-मेल: difbho@mp.gov.in, दूरभाष 0755-2574217,2552003,2551199 पर संपर्क किया जा सकता है ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ता/-
(नीतेश व्यास)
संचालक
संस्थागत वित्त, म.प्र.

क्र. ब्रिस्क/आई.टी.(3)/संविसं/2009/372 भोपाल दिनांक 01 फरवरी 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), म.प्र. राज्य इकाई, विन्ध्याचल भवन, को सूचनार्थ ।
2. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, म.प्र., सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु ।
3. राज्य स्तरीय बैंक प्रमुख (समस्त बैंक), मध्य प्रदेश, को सूचनार्थ एवं लेख है कि बेव-एनेबिल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर में बैंक शाखा मास्टर संचालनालय की बेवसाइट (www.dif.mp.gov.in) में उपलब्ध "Banking Network in Madhya Pradesh" के अनुसार संधारित किया गया हैं एवं साफ्टवेयर में सिर्फ उन्हीं शाखाओं को आर.आर.सी. दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है जो "Banking Network in Madhya Pradesh" में समाहित हैं। अतः शाखाओं की जानकारी के updation/alteration हेतु **वेब-एनेबल्ड ब्रिस्क साफ्टवेयर** के साथ उपलब्ध कराऐ गऐ प्रपत्र (Format-B) में जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करें ।
4. जिला अग्रणी प्रबंधक, म.प्र. (समस्त), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. जिला संस्थागत वित्त अधिकारी/प्रभारी, म.प्र. (समस्त), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. निज सहायक, संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लव भवन, भोपाल, सूचनार्थ ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

हस्ता/-

संयुक्त संचालक एवं

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ब्रिस्क)

परिशिष्ट

समीक्षा में परिलक्षित हुऐ प्रमुख बिन्दु

1. बैंक शाखाओं द्वारा साफ्टवेयर में आन-लाइन दर्ज राजस्व वसूली प्रकरण संबंधित जिला नोडल बैंक शाखा द्वारा जिला प्रशासन को नियमित रूप से आन-लाइन अग्रेषित नहीं किये जा रहे है । नोडल बैंक शाखा का दायित्व है कि जिले में कार्यरत बैंक द्वारा आर.आर. सी. प्रस्तुत करने पर तत्काल ऐसी आ.आर.सी. को जिला प्रशासन को अग्रेषित की जाय ।
2. बैंको की जिला नोडल शाखा द्वारा जिला प्रशासन को अग्रेषित प्रकरणों को जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु निर्धारित प्रक्रियानुसार बैंक से प्रकरण प्राप्ति के 15 दिन के अंदर में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाना आवश्यक है ।
3. जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत किए गए प्रकरणों में प्रकरण कमांक एवं दिनांक की प्रविष्टि पश्चात संबंधित राजस्व अधिकारी को आवंटित कर प्रपत्र-2 में (मांग की सूचना) वसूली हेतु उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है ।
4. जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रकरणों के विरूद्व अर्जित वसूली की प्रविष्टि संबंधित बैंक शाखा द्वारा साफ्टवेयर में की जाना आवश्यक है, साथ ही अर्जित वसूली के विरूद्व देय आदेशिका फीस एवं कार्यवाही खर्च की राशि चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कर तत्संबंधी प्रविष्टि बैंक शाखा द्वारा साफ्टवेयर में की जाना आवश्यक है ।